फार्म

अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2016

* प्रथम नियुक्ति के समय / वर्तमान में अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम : विजय कुमार तिवारी
2. वर्तमान धारित पद : निदेशक(तकनीकी)
3. कार्यालय का नाम– निदेशक (तकनीकी) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लिमि., जबलपुर
4. वर्तमान वेतन : ₹ 77000/-
5. भविष्य निधि क. – 22140206
6. कर्मचारी संख्या– 89970965

उस जिले का / संभाग / तालुका तथा ग्राम का नाम जहां संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		वर्तमान मूल्य (₹)	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वो किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद/पट्टा/बंधक / विरासत / भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
(1) नई दिल्ली	फ्लैट नं.बी–503,सीबी.आई.पी.गृह निर्माण्र समिति मर्यादित, द्वारका, नई दिल्ली–75	–	35 लाख	–	1) सीबीआईपी गृह निर्माण समिति मर्यादित की सदस्यता अप्रेल–88 में ग्रहण की। 2) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर फ्लैटों का निर्माण कर प्राधिकरण के नियमानुसार एक–एक फ्लैट प्रत्येक सदस्य को वर्ष 2006–07 में हस्तांतरित किया गया।	2,03,000/–	–
(2) जबलपुर	–	प्लॉट नं. 48, खसरा नं. 28/4/3, जे.एम.एनक्लेव, धनवंतरी नगर (1423 वर्गफीट)	15.00 लाख	–	जनवरी 2014 में श्री मुकेश चौबे, निवासी–धनवंतरी नगर से आवास निर्माण हेतु खरीदी गयी।	निरंक	–
(3) जबलपुर	–	प्लॉट नं. 1, खसरा नं. 29/2/क, सीओडी कर्मचारी गृह निर्माण समिति मर्यादित, धनवंतरी नगर (1006 वर्गफीट)	10.60 लाख	–	जनवरी 2014 में सीओडी कर्मचारी गृह निर्माण समिति मर्यादित, धनवंतरी नगर से आवास निर्माण हेतु खरीदी गयी।	निरंक	–

हस्ताक्षर : [signature]

नाम : विजय कुमार तिवारी

पद : निदेशक(तकनीकी)

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहा वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषण पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।